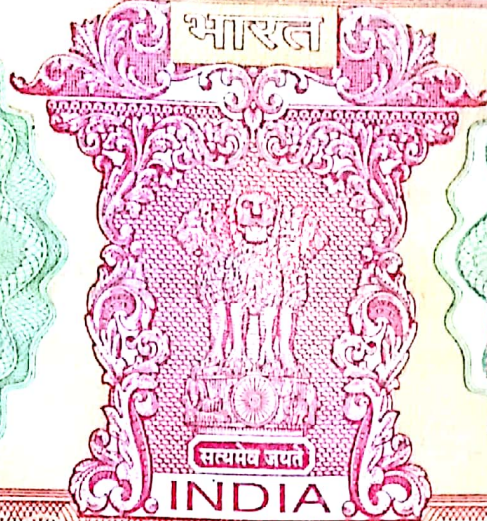


भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

:: शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप ::



मैं इकबाल खान पुत्र रायधन खान जाति मुसलमान निवासी- ग्राम जेसूराणा तहसील व जिला- जैसलमेर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

- 1- मेरी संस्था का नाम गुल रोशन संस्थान, गौशाला जेसूराणा एवं संस्था का पंजीयन संख्या 107/जैसल/2009-10 गौशाला पंजीयन संख्या 1671/2017 दिनांक 06-06-2017 यह हैं।
- 2- मेरी घोषित पशु शिविर के संचालन का स्थान ग्राम जेसूराणा तहसील का नाम जैसलमेर जिले का नाम जैसलमेर यह हैं।
- 3- मेरे घोषित पशु शिविर में वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये बड़े 481 व छोटे 21 कुल 502 पशु संधारित हैं।
- 4- मुझे ज्ञात हैं कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
- 5- मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती हैं तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6- मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।

जिले द्वारा समय-समय पर दी गई शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।



SIGNATURE ATTESTE

Kesar Singh Bhat
Notary Public

इकबाल खान
शपथग्रहीता
गुल रोशन संस्थान, जेसूराणा

मैं इकबाल खान पुत्र रायधन खान जाति मुसलमान निवासी- ग्राम जेसूराणा तहसील व जिला- जैसलमेर राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य हैं।

SIGNATURE ATTESTE

Kesar Singh Bhat
Notary Public

इकबाल खान
शपथग्रहीता
गुल रोशन संस्थान, जेसूराणा

पंजीयन क्रमांक 1671/17
दिनांक 06.06.2017
द्वितीय नं. 29
दिनांक 06.06.2017

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री गुल रोशन संस्थान गौशाला
ग्राम जैसुराणा पोस्ट हमीरा
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री इकबाल खान अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री गुल रोशन संस्थान गौशाला ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद में संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 06 माह जून वर्ष दो हजार सत्रह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

गुल रोशन संस्थान, जैसुराणा
अध्यक्ष

06/06/2017
अध्यक्ष
गुल रोशन संस्थान, जैसुराणा



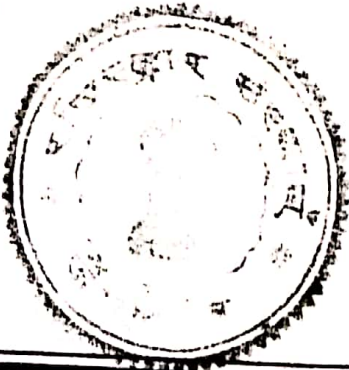
सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....167.../जैसल/20.03..20.10..

यह प्रमाणित किया जाता है कि गुल रोशन.....
संस्थान, जैसुराणा.....जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक सप्ताह.....माह.....सन् दो हजार.....को
जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संख्याएं
जैसलमेर

167/10/20
अध्यक्ष
गुल रोशन संस्थान, जैसुराणा